आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

27.8.18

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0–11/2018–19
आवेदक– प्रमाणिक मुर्मू
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– बांसभीठा
आदेश

प्रस्तुत पी0 ए0 वाद सं0 11/2018–19, आवेदक प्रमाणिक मुर्मू पिता स्व0 जगन मुर्मू सा0– बासंभीठा, पो0– केलाबाड़ी, थाना– रांगा के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मौजा बासंभीठा के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र के अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अअधिकारी, पतना को भेजा गया।

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा– बांसभीठा के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदक को सुना। उनहोने बताया कि मौजा बांसभीठा के पूर्व प्रधान स्व0 जगन मुर्मू थे जो मेरे परदादा थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा– बांसभीठा के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी पतना ने पत्रांक 363/रा0 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक पूर्व प्रधान स्व0 जगन मुर्मू का परपोता है। पूर्व प्रधान स्व0 जगन मुर्मू के मरणोपरान्त उनका परपोता प्रमाणिक मुर्मू उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में स्वयं कार्य कर रहा हैं तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है। आवेदक वर्तमान में बांसभीठा में रहता है। अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा आवेदक प्रमाणिक मुर्मू पिता स्व0 जगन मुर्मू सा0– बासंभीठा, पो0– केलाबाड़ी, थाना– रांगा जिला साहेबगज को मौजा– बांसभीठा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, पतना की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक प्रमाणिक मुर्मू पिता स्व0 जगन मुर्मू सा0– बासंभीठा, पो0– केलाबाड़ी, थाना– रांगा जिला साहेबगज को संथाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा– बांसभीठा के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 27/8/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

(हस्ताक्षर) 27/8/18
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

आवेदक प्रमाणिक [illegible] द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया। पट्टा निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 29/8/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

292/रा0
27-08-18

पट्टा प्राप्त
प्रमाणिक मुर्मू